

उत्तर रेलवे

प्रधान कार्यालय,
बड़ीवा हाउस,
नई दिल्ली।

मु0क्र0सं0 13500/35

पं. सं. 34-ई/6 सी. पी. सी. / Border Area All / 08

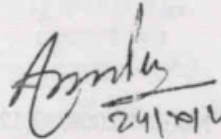
दिनांक 23/10/2008.

सभी मुख्य विभागाध्यक्ष
समस्त मण्डल रेल प्रबन्धक
एवं अतिरिक्त मण्डल कार्यालय
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: - Discontinuation of Border Area Allowance to the
Railway employees serving on the Inter national
Border of Rajasthan - Implementation of
recommendations of the Sixth Central Pay
Commission.

रेल मंत्रालय के पत्र सं. E(G)/2008/AL 12-3 दिनांक 14/10/2008
(आर.बी.ई.सं.153/2008) क्र.सं. पी.सी.-VI/35 की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही
हेतु प्रेषित की जा रही है।

सलग्न/यथोक्त


(Trilok Choudhary)
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि -

1. सभी कार्मिक अधिकारी प्र.का. बड़ीवा हाउस, नई दिल्ली।
2. महासचिव, एनआरएनयू, 12 घेन्तफोर्ड रोड, नयी दिल्ली
3. महासचिव, 30/म/0अ/जा0/अ/ज0जा0 रेल कर्मचारी संगठन सी-16 के रेलवे कारगोनी
लाजपतनगर नई दिल्ली-24
4. महासचिव, 30/म/0अ/पि0व/0 रेल कर्मचारी संगठन 171/ए/3 बसंत लेन नई दिल्ली।



Government of India/भारत सरकार
Ministry of Railways/रेल मंत्रालय
Railway Board/रेलवे बोर्ड

S.No.P.C.VI. 35
RBE No. 153/08

रेल भवन, नई दिल्ली 110001, तिथि 14/10/2008
Rail Bhawan, New Delhi-110001, dated.

No.E(G)2008/AL12-3

The General Manager,
Northern Railway, New Delhi.
North Western Railway, Jaipur
Western Railway, Mumbai.
West Central Railway, Jabalpur.

Sub: Discontinuation of Border Area Allowance to the Railway employees serving on the International Border of Rajasthan - Implementation of recommendations of the Sixth Central Pay Commission.

Consequent upon the decision taken by the Government on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission circulated vide Ministry of Finance (Deptt. of Expenditure) O.M. No. 13(1)/2008-E.II.B dated 29.8.08 relating to Border Area Allowance, Ministry of Railways in modification of their letter No. E(G)95/AL12-2 dated 21.6.1999 have decided to discontinue the Border Area Allowance w.e.f. September 1, 2008.

This has the sanction of the President and issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

Suvomoy Pal
(Suvomoy Pal)
Deputy Director Estt. (Genl.)

No.E(G)2008/AL12-3

New Delhi, Dated 14/10/2008

Copy to :

- i) The FA&CAOs, Northern Railway/New Delhi, North Western Railway/Jaipur, Western Railway/Mumbai and West Central Railway/Jabalpur.
- ii) The Chief Commissioner of Railway Safety, 16 Ashok Road, Lucknow.

Suvomoy Pal
(Suvomoy Pal)
Deputy Director Estt. (Genl.)

..2..

EIV
RB-105
16/10

इस सं. पी सी IV 35
आर बी ई सं. 153/08

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (जी) 2008/ए एल 12-3

नई दिल्ली, दिनांक 14.10.2008

महाप्रबंधक,
उत्तर रेल, नई दिल्ली
उत्तर पश्चिम रेल, जयपुर
पश्चिम रेल, मुंबई
पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर

विषय: राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सेवारत रेल कर्मचारियों को दिए जाने वाले सीमा क्षेत्र भत्ते को समाप्त करना-छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

सीमा क्षेत्र भत्ते से संबंधित वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के 29.3.08 के का.जा. सं. 13 (1)/2008-ई-II-बी के तहत परिपत्रित छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के परिणामस्वरूप, रेल मंत्रालय ने अपने 21.6.1999 के पत्र सं. ई (जी)95/ए एल/12-2 के आशोधन में, 1 दिसंबर, 2008 से सीमा क्षेत्र भत्ते को समाप्त करने का विनिश्चय किया है।

इसे राष्ट्रपति जी की स्वीकृति प्राप्त है और इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

सुशोभीय चक
(सुभोमोय पाल)
उप निदेशक, स्था. (सा.)
रेलवे बोर्ड.

सं. ई (जी) 2008/ए एल 12-3

नई दिल्ली, दिनांक 14.10.2008

प्रति लिपि प्रेषित:

- विस एवं मुलेधि, उत्तर रेल/नई दिल्ली, उत्तर पश्चिम रेल/जयपुर, पश्चिम रेल/मुंबई एवं पश्चिम मध्य रेल/जबलपुर
- मुख्य आयुक्त रेल संरक्षा, 16, अशोक रोड, लखनऊ

सुशोभीय चक
(सुभोमोय पाल)
उप निदेशक, स्था. (सा.)
रेलवे बोर्ड.

P-B(G)

... 2

24-E-IV

-2-

सं. ई (जी) 2008/ए एल 12-3

नई दिल्ली, दिनांक 14.10.2008

प्रतिलिपि प्रेषित:

- i) प्रमुख लेखा परीक्षा, उत्तर रेल/नई दिल्ली, उत्तर पश्चिम रेल/वावपुर, पश्चिम रेल/मुंबई एवं पश्चिम मध्य रेल/जबलपुर
- ii) भारत के उप निबंधक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें) कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)

(हस्ताक्षर)
कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. ई (जी) 2008/ए एल 12-3

नई दिल्ली, दिनांक 14.10.2008

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. महासचिव, ए आई आर एफ, 4 स्टेट एंटी रोड, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)
2. महासचिव, एन एफ आई आर, 3 चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)
3. महासचिव, इरपोफ, कमरा नं. 268, रेल भवन (5 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)
4. विभागीय परिषद एवं राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य, सचिव कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (90 अतिरिक्त प्रतियाँ)
5. महासचिव, फ्रोआ, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)
6. महासचिव, आर बी एफ एशोसिएशन, कमरा सं. 256 डी, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)
7. सचिव, आर बी एस एस, ग्रुप "ए" ऑफिसर्स एशोसिएशन (5 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)
8. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड क्लास-II ऑफिसर्स एशोसिएशन (5 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)
9. अध्यक्ष, भारतीय रेल क्लास-II ऑफिसर्स एशोसिएशन (5 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)
10. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एशोसिएशन (5 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)
11. सचिव, रेलवे बोर्ड क्लास-IV स्टॉफ एशोसिएशन (5 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)
12. सचिव, कर्मचारी कक्ष, राष्ट्रीय परिषद (जे सी एम) - 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली.

(हस्ताक्षर)
कृते सचिव, रेलवे बोर्ड

P-B(G)